"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 मई 2017 — ज्येष्ठ 6, शक 1939

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2017

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक 2396/एफ 1-1/2017/रास/यू.-9. — इस सचिवालय के अधिसूचना दिनांक 27-04-2017 द्वारा सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर में कुलपति की नियुक्ति के लिये पेनल प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 (2) के अंतर्गत समिति का गठन किया गया है.

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 (5) के अंतर्गत उपरोक्त अधिसूचना की कंडिका (3) में समिति द्वारा पेनल प्रस्तुत करने हेतु उल्लेखित अवधि में माननीय कुलाधिपति द्वारा चार सप्ताह की वृद्धि की गई है.

हस्ता./-
(जनमेजय महोबे)
राज्यपाल के संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.